उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

वेबसाइटः **hajcommittee.up.gov.in** ; ई–मेल : **hajcommittee.up@gmail.com**

पत्रांक : जी–।।/364/एस0एच0सी/2024 दिनांक : 27.08.2024

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई द्वारा सकुर्लर–3 दिनांक 26 अगस्त, 2024 निर्गत किया गया है, जिसमें सूचना दी गयी है कि हज गाइडलाइंस 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए 65+ हज यात्री के साथ एक सहयोगी जिसकी आयु 65 वर्ष से कम मान्य होगी परन्तु सहयोगी के रुप में केवल पति/पत्नी, लड़का/लड़की व भाई/बहन पात्र होंगे। अन्य सम्बन्धों में सहयोगी के रुप में 18 से 60 वर्ष की आयु मान्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त हज गाइडलाइंस 2025 के बिन्दु 6 में आंशिक संशोधन करते हुए अवगत कराया गया है कि सभी चयनित हज यात्रियों को कुर्रा अथवा चयन के एक सप्ताह के भीतर हज आवेदन फार्म की डाउनलोडेड प्रति, अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति व पासपोर्ट घोषणा पत्र जिसका प्रोफार्मा संलग्न है, मेडिकल स्क्रीनिंग एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट, घोषणा पत्र एण्ड अण्डरटेकिंग व अग्रिम धनराशि की पे–इन–स्लिप उ0प्र0 राज्य हज समिति में डाक अथवा दस्ती जमा कराना होगा।

हज–2025 के ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 09 सितम्बर, 2024 है, सभी इच्छुक हज आवेदकों से अनुरोध है कि वह ऑनलाइन आवेदन शीघ्र कर दें व अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें।

मूल अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट राज्य हज समिति को निर्धारित की गयी तिथि तक जमा कराना होगा, जिसकी सूचना बाद में दी जायेगी।

संलग्नक : पासपोर्ट घोषणा पत्र

/

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. मा0 अध्यक्ष/सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त ई–सुविधा केन्द्र, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।
9. समस्त प्रशिक्षक, उ0प्र0।

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी